



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक – प्रशा. / चौबीस / (1) 2024 / 182

दिनांक :— 06 MAR 21
06 MAR 2024

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के तक्षशिला परिसर खंडवा रोड़ तथा प्रोफेसर के आवास का आवंटन किया जाना है। निम्न लिखित आवास गृह रिक्त हैं :—

- प्रोफेसर आवास क्रमांक A/4 (डॉ. अजय कुमार द्वारा रिक्त)
- शिक्षक अधिकारी आवास क्रमांक —MS-02

उपरोक्त रिक्त आवास हेतु इच्छुक शिक्षक अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में कुलसचिव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को दिनांक 9.03.2024 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

जिन शिक्षकों अधिकरियों ने पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया है, वे भी आवास आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ चालू माह की वेतनपर्ची की प्रति संलग्न कर प्रेषित करें। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन अमान्य किया जायेगा। जिन शिक्षकों का इन्दौर नगर निगम सीमा में स्वयं का आवास है, उन्हें इसकी पात्रता नहीं होगी।

(10) आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक—प्रशा. / चौबीस(1)2024 / 182
प्रतिलिपि :-

दिनांक:— 06 MAR 2024

- समर्त विभागाध्यक्ष / निदेशक अध्ययन शालाएँ / संस्थान की ओर सूचनार्थ।
- समर्त अधिकारीण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ।
- अध्यक्ष, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की ओर सूचनार्थ।
- विश्वविद्यालय यांत्रिक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- विभागाध्यक्ष आय.टी. सेन्टर की ओर विश्वविद्यालयवेबसाइट में अपलोड हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव(प्रशा.)



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

आवास गृह हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

विश्वविद्यालय का विज्ञापन क्रमांक दिनांक

1. पूरा नाम
2. प्रवर्ग (अनु. जाति / अनारक्षित / अनु. जनजाति)
3. विश्वविद्यालय में नियमित रूप से
प्रथम नियुक्ति का दिनांक
4. वर्तमान पद
5. विभाग का नाम
(जहाँ कार्यरत है)
6. स्थाई / अस्थायी
7. पूरा पता
8. क्या प्रार्थी का स्वयं के नाम / पत्नी
अथवा पति के / आश्रित अज्ञान संतानों
के नाम / आश्रित रिश्तेदार के नाम इन्दौर
नगर पालिका निगम क्षेत्र में कोई मकान
अथवा फ्लेट है। कृपया हाँ या नहीं में
उत्तर दें।
9. क्या प्रार्थी वर्तमान में विश्वविद्यालय के
आवासगृह में निवास कर रहे हैं यदि हाँ
तो कृपया आवासगृह का पूर्ण विवरण दें।
यह भी बतावें कि आप आवासगृह परिवर्तन
क्यों चाहते हैं ?
10. क्या प्रार्थी वर्तमान में विश्वविद्यालय के आवासगृह
- में कोई राशि बकाया है अथवा कोई कार्यवाही लंबित
है।
11. क्या आवासगृह प्राप्त करने के लिए कोई विशेष
कारण है।
विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित
विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं विभाग का नाम

(आवेदक के हस्ताक्षर)

मोबाइल नं.....